शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट - सराहनीय कार्य दिनांक 04.02.2024

जनपदीय एस0ओ0जी0, सर्विलांस सेल व थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी

जनपदीय एस0ओ0जी0, सर्विलांस सेल व थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे करीब 02करोड 20 लाख रु0 कीमत की 02 किलो 200 ग्राम की फाइन क्वालिटी अफीम) व एक गाडी मारूति स्विफ्ट, 40 हजार रुपये नगद के साथ दो अवैध मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार।

उत्तर प्रदेश शासन की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेन्स की मंशा एवं वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशों के अनुरुप जनपद शाहजहांपुर मे अवैध मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही जारी है। उक्त क्रम में ही **दिनांक 04.02.2024** को एस0ओ0जी0, सर्विलांस सेल एवं थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही मे **दो अन्तर्राज्यीय अफीम तस्करों** को चैकिंग के दौरान **बादशाहनगर चौराहा थाना सेहरामऊ क्षेत्रान्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।** संयुक्त पुलिस टीम को विश्वस्त सूत्रो से सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद शाहजहाँपुर के रहने वाले कुछ व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी में सलिप्त हैं जो जनपद व आस पास के जनपदों में जाकर अफीम की तस्करी कर भौतिक व आर्थिक लाभ कमा रहे हैं।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार श्री मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री अमित चौरसिया क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में पुलिस टीम उक्त मादक पदार्थ तस्करों की मूवमेन्ट पर नजर रखे थी **उक्त गैंग का मूवमेन्ट स्टेट हाइवे पर शाहजहाँपुर हरदोई के बीच में मिला जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा बादशाहनगर चौराहे पर नाकाबंदी गाड़ाबंदी की गयी तो दो अफीम तस्करों को 2 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार करने में महत्पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।** गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगणो के विरुद्ध थाना सेहरामऊ दक्षिणी पर N.D.P.S के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का नाम/पता:

1.मिथलेश पुत्र मुलायम निवासी ग्राम सिमरा डभौरा थाना गढिया रंगीन जिला शाहजहाँपुर उम्र 32 वर्ष

2.पुष्पेन्द्र पुत्र ज्ञानवीर निवासी ग्राम सिमरा डभौरा थाना गढिया रंगीन जिला शाहजहाँपुर उम्र 40 वर्ष।

गिरफ्तार का स्थान/समय:-

बादशाहनगर चौराहा दिनांक 04.02.2024 प्रातः **समय करीब 02.45** बजे।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 051/2024 धारा 8/18 N.D.P.S ACT थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जिला शाहजहांपुर।

बरामदगी का विवरण:

1. अवैध अफीम करीब 02 किलो 200 ग्राम (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत करीब 02 करोड 20 लाख रुपये)
2. 40,000/- रुपये नगद
3. एक कार मारूति स्विफ्ट
4. दो अदद मोबाईल फोन टचस्क्रीन

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण:- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर संयुक्त रुप से बताया कि कुछ दिन पूर्व हम लोगों का सम्पर्क झारखण्ड में वहां के स्थानीय लोगों से हो गया था। झारखण्ड में अफीम की काफी मात्रा में पैदावार होती है जहाँ से आसानी से बहुत अच्छी क्वालटी की अफीम एक लाख रुपये किलो तक मिल जाती है। उसे हम लोग वहां से लाकर जनपद शाहजहाँपुर में तथा आस पास के जनपदों में थोडी थोडी करके मंहगे दामो में बिक्री कर देते हैं। जो अफीम हमारे पास से बरामद हुई है वह हम लोगों ने झारखण्ड से ही मगायी थी तथा आज सडक किनारे स्थित होटल ढाबों इत्यादि पर बिक्री करने जा रहे थे तभी पकडे गये हैं। जो रुपये पुष्पेन्द्र के पास से मिले हैं वह करीब 250 ग्राम अफीम को बेंचने पर मिले हैं। स्विफ्ट गाडी भी पुष्पेन्द्र की है जो उसने किसी ओर से खरीदी थी किन्तु अभी तक अपने नाम नहीं करायी है। इस गाडी का प्रयोग हम लोग अफीम लाने व बिक्री करने में करते हैं।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:

(एस0ओ0जी0 टीम)

1. निरीक्षक श्री रितेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री राजाराम सिंह
3. मु0आ0 467 खालिद हुसैन
4. हे0का0 249 विपिन कुमार
5. मु0आ0 566 दिलीप कुमार
6. का0 1947 कमल
7. चालक हे0का0 कपिल ठाकुर

(थाना सेहरामऊ दक्षिणी)

1-श्री रोहित कुमार, से0म0द0

2.उ0नि0 श्री अजय वर्मा

3.हे0का0 546 आरेन्द्र सिंह

4.का0 2676 नितिन कुमार

5. हे0का0 2675 प्रवीन

6. का0 2790 शिवकुमार

7.का0 चालक नीरज कुमार

(सर्विलांस टीम)

1. का0 प्रभात चौधरी
2. का सचिन कुमार
3. का0 शिवम कुमार
4. का0 मुकुल